न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारीः— सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 98/14
ऑन लाईन 2014/00077

दायर दिनांक 28.10.2014
निर्णय दिनांक 20.05.2025

1. श्री काला पिता नाना भील जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी पालवडा तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर राजस्थान

——वादी

—: बनाम :—

1. श्री दिलीप पिता फूला जाति भी उम्र 30 वर्ष निवासी पालवडा तहसील व जिला डूंगरपुर राजस्थान
2. तहसीलदार,तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर

——प्रतिवादीगण

**दावा बाबत् निष्प्रभावी, शुन्य व निरस्त किये जाने दस्तावेज बक्षीसनामा दिनांक 02.07.2012 एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत्।**

**उपस्थित :—**

श्री विनोद शर्मा,अधिवक्ता —वादी की ओर से
श्री मुकेश कुमार भट्ट अधिवक्ता —प्रतिवादीगण की ओर

—: निर्णय :—

**दिनांक 20.05.2025**

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों एक ही गॉव के रहने वाले होकर आपस में चाचा भतिजा लगते है तथा वादी के सन्तानों में मात्र तीन पुत्रियां जिनका नाम शारदा, ललीता एवं किपा होकर कोई जीवित पुत्र सन्तान नही है। वादी की अपने गॉव पालवडा के खाता संख्या 57 में स्थित कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या 57 में स्थित कृषि भूमि जिसके खसरा किता 13 क्रमाशः 314 रकबा 00.05 बिस्वा, 457 रकबा 04.00 बिघा, 472 रकबा 00.18 बिस्वा, 511 रकबा 01 बीघा , 03 बिस्वा, 512 रकबा 00.02 बिस्वा , 514 रकबा 00.01 बिस्वा, 534 रकबा 00.10 बिस्वा, 536 रकबा 00.01 बिस्वा, 539 रकबा 00.04 बिस्वा, 542 रकबा 00.03 बिस्वा, 543 रकबा 00.12 बिस्वा, 544 रकबा 00.04 बिस्वा, 542 रकबा 00.03 बिस्वा, 543 रकबा 00.12 बिस्वा, 544 रकबा 00.05 बिस्वा एवं 617 रकबा 00.03 बिस्वा इस प्रकार कुलान 8 बीघा 07 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड होकर पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। जिस पर वादी का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा होकर स्वामित्व चला आ रहा है। वादी व इसकी पुत्रियों को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या एक उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि को दिनांक 02.07.2012 को बक्षीसनाम के जरिये अपने नाम पर करवा कर अपने खाते दर्ज करवा लिया गया है जबकि वादी द्वारा कभी भी उक्त वर्णित कृषि भूमियों बाबत् किसी के पक्ष में कोई बक्षीसनामा सम्पादित नही किया गया है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का भीतीजा है के द्वारा दिनांक 02.07.2012 को वादी को वृद्धा पेंशन जारी कराने के नाम पर इसे डूंगरपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लाया तथा वादी जो अनपढ व वृद्ध व्यक्ति होने का फायदा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठा कर षडयंत्र रच कर यह जाने हुए कि वादी के कोई पुत्र सन्तान नही है इस कारण पूर्व तैयार करवाये गये उक्त वर्णित बक्षीसनामा जिसकी वादी को कोई जानकारी या खबर नही थी पर धोखे में रखते हुए चालाकी से उप पंजियन कार्यालय पर ले जाकर अंगुष्ठ निशानी लगवाकर सम्पादित करवाया जाकर पंजियन कर लिया गया है। जबकि वादी ने कभी भी उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को दिये जाने बाबत् कोई विचार या ईच्छा जाहीर नही करी है जो कि पूर्ण से गैरकानुनी होकर विधी विरूद्ध होने से गलत एवं फर्जी होने का कथन किया जाकर वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा की जावे कि बक्षीसनामा

दिनांक 02.07.2012 में अंकित मौजा पालवडा का वाद वर्णित खसरा नम्बर बक्षीस निष्प्रभावी व शुन्य घोषित फरमाया जाकर निरस्त फरमावे एवं वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी जारी कराने निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी के वाद अवगत होकर प्रतिवादी दिलीप द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस तनकीयात कायम की गई।

1— आया मौजा पालवडा के खाता नम्बर 57 नया 54 पुराना जमाबंदी संवत 2067—70 कुल किता 13 रकबा आठ बीघा सात बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी है जो बक्षीस की गई है जिसे निष्प्रभावी व शुन्य घोषित करने व वादी खातेदार काश्तकार घोषणा कराने का अधिकारी है ?

ब जिम्मे वादी

2— क्या वाद वर्णित भूमि वादी के कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

ब जिम्मे प्रतिवादी

3— आया वादग्रस्त विविध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर बक्षीस की है ऐसी स्थिति में प्रकरण खारीज किया जावे ?

प्रतिवादी संख्या 1

4—अनुतोष

वादी की ओर साक्ष्य हेतु शपथ पत्र काला, शारदा के प्रस्तुत किये जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दिलायी गई। वादी की ओर से श्री काला के बयान शपथ पत्र की जिरह पूर्ण करायी गई। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी की गयी। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य बन्द की जाकर बहस अन्तिम नियत की गई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान इस बात पर अधिक जोर दिया कि उपरोक्त वाद बक्षिस निरस्त करने का होने से प्रथम दृष्टया इस न्यायालय को किसी प्रकार से सुनवायी का क्षेत्राधिकार नही है। इसका संबंध सिविल कोर्ट ही सुनने हेतु सक्षम न्यायालय है जिसका वकील वादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और यह कथन किया गया कि वाद इसी न्यायालय के सुनवाई का है। प्रकरण में साक्ष्य विवेचना किये जाने से पूर्व वकील प्रतिवादी द्वारा उल्लेखित बिन्दु क्षेत्राधिकार को पृथक रूप से निर्णित करना समझता हूँ। जहाँ तक दस्तावेज को शुन्य निष्प्रभावी निरस्त करने का क्षेत्राधिकार है यह पूर्ण रूप से सिविल न्यायालय की परीधी में आता है। ऐसी परिस्थिति में इस न्यायालय का यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने से वाद इसी स्तर पर क्षेत्राधिकार के अभाव में अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। वादी चाहे तो आज से एक माह के भीतर सिविल न्यायालय में इस हेतु उचित कार्यवाही बक्षिस निरस्त करने का कर सकता है।

निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

**डिगरी व मुकदमे इब्तदाई**
**(आदेश 20 के नियम 6–7 जा.दी.)**

**अज अदालत** **उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर राजस्थान**
**बईजलास** **श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर**

1. श्री काला पिता नाना भील जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी पालवडा तहसील पालदेवल व जिला डूंगरपुर राजस्थान

**––वादी**

**–: बनाम :–**

1. श्री दिलीप पिता फूला जाति भी उम्र 30 वर्ष निवासी पालवडा तहसील व जिला डूंगरपुर राजस्थान
2. तहसीलदार तहसील पालदेवल डूंगरपुर

**––प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत् निष्प्रभावी, शुन्य व निरस्त किये जाने दस्तावेज बक्षीसनामा दिनांक 02.07.2012 एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत्।**

प्रकरण संख्या 98 / 14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू श्री सांवरलाल आबासरा पक्षकारान बहाजरी श्री विनोद शर्मा मिनजानिब मुद्ई व मुकेश कुमार भट्ट एडवोकेट मिनजाबि मुद्यलाह पेश होकर हूक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है :–

क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद वादी खारीज किया जाता है।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

| मुददई | रूपया / पैसा | मुद्दायला | रूपया / पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | | स्टाम्प अरजी दावा | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | स्टाम्प वकालत नामा | |
| स्टाम्प वजह सबुत | | स्टाम्प वजह सबुत | |
| मेहनताना वकील | | मेहनताना वकील | |
| खर्चा गवाहान | | खर्चा गवाहान | |
| वक्त ईजराय | | वक्त ईजराय | |
| मुतफरीक | | मुतफरीक | |

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर